

बिहार सरकार
बिहार राज्य योजना पर्षद

का0आ0सं0-सु0का0अ0/विविध-02-10/2005 खण्ड-III

पटना, दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री सुभाष दास राम, उप निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद को सूचना का अधिकार नियमावली-2006 की कंडिका-6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य योजना पर्षद का प्रथम अपीलीय प्राधिकार एवं श्रीमती अंजना सिन्हा, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद को बिहार राज्य योजना पर्षद का लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. बिहार राज्य योजना पर्षद का इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

संयुक्त सचिव,
बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना

ज्ञापांक-सु0का0अ0/विविध-02-10/2005 खण्ड-III

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/श्री सुभाष दास राम, उप निदेशक/श्रीमती अंजना सिन्हा, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी कर्मचारी, बिहार राज्य योजना पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

संयुक्त सचिव,
बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना

ज्ञापांक-सु0का0अ0/विविध-02-10/2005 खण्ड-III

663 पटना, दिनांक 24/9/24

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य योजना पर्षद के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


20/9/24
संयुक्त सचिव,

बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना